

| अनुक्रमणिका | | |
|---|----------|-------|
| विषय | परिच्छेद | पृष्ठ |
| प्रस्तावना | - | V |
| कार्यकारी सारांश | - | vii |
| अध्याय-I: राज्य सरकार के वित्त | | |
| परिचय | 1.1 | 1 |
| राज्य के संसाधन | 1.2 | 5 |
| राजस्व प्राप्तियां | 1.3 | 7 |
| पूँजीगत प्राप्तियां | 1.4 | 12 |
| लोक लेखा प्राप्तियां | 1.5 | 14 |
| संसाधनों का अनुप्रयोग | 1.6 | 14 |
| व्यय की गुणवत्ता | 1.7 | 18 |
| सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण | 1.8 | 20 |
| परिसम्पत्तियां एवं देयताएं | 1.9 | 25 |
| ऋण प्रबंधन | 1.10 | 27 |
| राजकोषीय असंतुलन | 1.11 | 30 |
| राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई | 1.12 | 32 |
| निष्कर्ष | 1.13 | 33 |
| सिफारिशें | 1.14 | 34 |
| अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण | | |
| परिचय | 2.1 | 35 |
| विनियोजन लैखे का सारांश | 2.2 | 35 |
| वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन | 2.3 | 36 |
| व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन | 2.4 | 41 |
| चयनित अनुदान की समीक्षा का परिणाम | 2.5 | 41 |
| कोषों के निरीक्षण के परिणाम | 2.6 | 45 |
| निष्कर्ष | 2.7 | 45 |
| सिफारिशें | 2.8 | 46 |
| अध्याय-III: वित्तीय विवरण | | |
| प्रयुक्ति प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब | 3.1 | 47 |
| स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने तथा पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने में विलम्ब | 3.2 | 47 |
| प्रदत्त अनुदानों/ऋणों के ब्यौरे का अप्रस्तुतीकरण | 3.3 | 48 |
| दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि | 3.4 | 48 |
| अस्थायी अग्रिमों का असमायोजन | 3.5 | 49 |
| निष्कर्ष | 3.6 | 50 |
| सिफारिशें | 3.7 | 51 |

परिशिष्ट

| परिशिष्ट संख्या | शीर्षक | परिच्छेद | पृष्ठ |
|-----------------|--|---------------------------------|-------|
| परिशिष्ट-1 | राज्य रूपरेखा क: सामान्य आंकड़े | 1.1 | 53 |
| | ख: वित्तीय आंकड़े | 1.1 | 53 |
| परिशिष्ट-1.1 | भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप | - | 54 |
| | भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा | - | 55 |
| परिशिष्ट-1.2 | भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति | - | 57 |
| | भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित) | - | 59 |
| परिशिष्ट-1.3 | राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े | 1.3, 1.6.1, 1.9.2 तथा 1.11.3 | 60 |
| परिशिष्ट-1.4 | भाग-क: वर्ष 2016-17 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार | 1.1.1 | 63 |
| | भाग-ख: 31 मार्च 2017 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति | 1.1.1 तथा 1.9.1 | 66 |
| परिशिष्ट-1.5 | लिंग बजटीकरण | 1.1.4 | 68 |
| परिशिष्ट-1.6 | 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी | 1.2.2 | 71 |
| परिशिष्ट-1.7 | 31 मई 2017 तक अद्यतन अंतिम रूप से तैयार लेखानुसार निवेश पर प्रतिफल हेतु प्रदत्त शेयर पूँजी का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश | 1.8.2.2 | 73 |
| परिशिष्ट-1.8 | हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों की लोक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की प्रास्तिति | 1.8.2.3 | 74 |
| परिशिष्ट-2.1 | विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों जिनमें अधिक व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी | 2.3.1 | 75 |
| परिशिष्ट-2.2 | नियमन के लिए अपेक्षित विगत वर्षों के प्रावधानों पर आधिक्य | 2.3.1.1 | 76 |
| परिशिष्ट-2.3 | नियमन के लिए अपेक्षित 2016-17 के दौरान प्रावधान पर आधिक्य | 2.3.1.1 | 77 |
| परिशिष्ट-2.4 | 2016-17 के दौरान प्रावधानरहित व्यय | 2.3.1.3 | 78 |
| परिशिष्ट-2.5 | मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए | 2.3.1.4 | 79 |
| परिशिष्ट-2.6 | विभिन्न अनुदानों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए | 2.3.1.4 | 80 |
| परिशिष्ट-2.7 | निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन | 2.3.2 | 81 |

| परिशिष्ट संख्या | शीर्षक | परिच्छेद | पृष्ठ |
|-----------------|--|----------|-------|
| परिशिष्ट-2.8 | व्यय का तीव्र प्रवाह | 2.3.3 | 82 |
| परिशिष्ट-2.9 | विभिन्न अनुदान जहां बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ के अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी का विवरण | 2.3.4 | 83 |
| परिशिष्ट-2.10 | क: वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी | 2.3.4.2 | 84 |
| परिशिष्ट-2.11 | ख: वर्ष के दौरान शत-प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी | 2.3.4.2 | 87 |
| परिशिष्ट-2.12 | 31 मार्च 2017 को ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के अभ्यर्पण को दर्शाती विवरणी | 2.3.4.2 | 90 |
| परिशिष्ट-2.13 | 31 मार्च 2017 को व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में अव्ययित शेष दर्शाने वाली विवरणी | 2.4 | 92 |
| परिशिष्ट-3.1 | 31 मार्च 2017 को बकाया पड़े प्रयुक्ति प्रमाण पत्र | 3.1 | 94 |
| परिशिष्ट-3.2 | स्वायत्त निकायों का निष्पादन दर्शाने वाली विवरणी | 3.2 | 98 |
| परिशिष्ट-3.3 | चोरी, दुर्विनियोजन/हानि आदि के मामलों का विभागबद्ध तथा अवधिबद्ध व्यौरा | 3.4 | 99 |
| परिशिष्ट-3.4 | सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागबद्ध/श्रेणीबद्ध व्यौरा | 3.4 | 100 |
| परिशिष्ट-4 | शब्दावली | | 101 |

